संख्या: 674 /2023/1509/35-4-2023/35-4099/ 507/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 14 जून,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-लखनऊ में शासनादेश सं0-616/2021/2630/35-4-2021, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 34 कार्यो की रू0 694.95 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 421.77 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश से स्वीकृत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य के लिए अनुमोदित लागत रू0 237.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 105.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थीं। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक: 373/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 एवं सं0-438/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत तालिका में अंकित कार्यो हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 132.00 लाख (रूपये एक करोड़ बतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	बालागंज वार्ड 15 के अर्न्तगत यूनिटी कॉलेज के पहले से कैलाश स्टेट बरावन कला मुख्य मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	36.40	15.00	21.40
2	अवस्थी मेडिकल स्टोर व एसके माथुर के मकान से होते हुए ओ. पी. गुप्ता जी (विजयनगर) के मकान तक नाली व साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य	31.40	15.00	16.40
3	केसरीखेडा वार्ड महाराजपुरम वार्ड के अर्न्तगत टी०एन० यादव एडवोकेट के निवास स्थान से सरोज राज दुबे एडवोकेट के स्कूल होते हुए जसवन्त सिंह के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	30.92	15.00	15.92
4	जानकीपुरम प्रथम प्रभात चौराहे से थाना चौराहे होते हुए सेन्ट एन्टोनी स्कूल होते हुए मंदिर तक जानकी विकास महासमिति के गेट तक सड़क निर्माण कार्य	39.13	15.00	24.13
5	कन्हैया माधवपुर वार्ड के अर्न्तगत सीतापुर बाईपास तिराहा से माधवपुर पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य	46.07	15.00	31.07
6	आलम नगर वार्ड के अर्न्तगत चन्द्रोदय नगर में चौरसिया सेन्टर, गुप्ता जनरल स्टोर, राहुल पाल व संतोष मिश्रा से दीपेन्द्र के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	30.29	15.00	15.29
7	वार्ड फैजुल्लागंज तृतीय के अर्न्तगत अभिषेक श्रीवास्तव मकान नं. 17. सत्या लोक कालोनी से विनोद कुमार मिश्रा के मकान नं. 23 तक सड़क निर्माणका कार्य	22.79	15.00	7.79
	योग	**237.00**	**105.00**	**132.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,32,00000 (रूपये एक करोड़ बतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040-लेखाशीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला एवं अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 674(1) /2023/1509 /35-4-2023/35-4099/ 507/2021 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
14- संयुक्त निदेशक, एस0टी0सी0 ,नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।